

5.8.67/2022 9cms-2022/164

हन्डीप बिस्नोई v/s सुकप

136 क्र.राजस्व शाखी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम, जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

28<sup>2</sup>/<sub>23</sub> पमावली वाले निर्दिष्ट पैरा हुये जाते हुये  
 कार्य स्विकृत है। गत पैरा पर अदालत वकील उषा  
 हुनी जा चुकी है। पमावली का अवलोकन किया गया।  
 उषा द्वारा डा. पत्र प्रस्तुत कर निर्देश किया गया है  
 कि पत्र अदालत को जाया से. 47/36 में क्र. नं. 21940  
 की कुल 9.968 रु. नदरी/विरानी मग बाल में 1/4  
 हिस्सा अर्द्ध उषा के नाम से है। जिसमें उषा का  
 नाम हन्डीप कुमर पुत्र कोमलकास उर्ज है। जहाँ उषा  
 का लघु नाम हन्डीप बिस्नोई पुत्र कोमलकास है। हमी  
 स्थावर में लघु नाम उर्ज है। किा में हन्डीप कुमर के  
 स्वाग पर हन्डीप बिस्नोई की दुरुस्ती करने हेतु निर्देश  
 किया। उक्त में नदरी/विरानी राजनिंदकप से जांच  
 रिपोर्ट ली गयी मुताबिक (जिसे नदरी/विरानी राजनिंदकप  
 उक्त क्र. अ. 783 दिनांक 14/6/22 के द्वारा उषा के  
 साथ ही उषा के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर-2006  
 की प्रति उषा हेतु पिछले नाम हन्डीप बिस्नोई उर्ज है।  
 उषा द्वारा उषा के साथ प्रस्तुत स्थावर  
 राजकाष्ठ, पत्र/हाथ/काठ काठ में नाम हन्डीप बिस्नोई  
 उर्ज है। उषा द्वारा उषा के लघु नाम कोमलकास  
 के द्वारा बलापित भी किया गया है। उषा उक्त उषा के  
 के आधार पर राजस्व (किा) के नाम हन्डीप कुमर के  
 स्वाग पर हन्डीप बिस्नोई उर्ज कराना चाहता है।  
 जिसकी दुरुस्ती किया जाय अन्यायित है।  
 लिखित उषा का स्वीकार किया जाता है  
 तथा राजस्व (किा) उक्त उषा से जाया से 1/4  
 में उर्ज क्र. नं. 21940 की 9.968 रु. अर्द्ध के प्रातःपत्र के  
 नाम हन्डीप कुमर पुत्र कोमलकास के स्वाग पर हन्डीप  
 बिस्नोई पुत्र कोमलकास की दुरुस्ती कर उर्ज करने के आदेश  
 नदरी/विरानी राजनिंदकप को दिया जाते है। गोप अंश अभाव  
 रहेगा। निर्दिष्ट की प्रति नदरी/विरानी राजनिंदकप को पालगव  
 उषा की जाये। आदेश अदालत में हुकामा मुता  
 पमावली निर्दिष्ट में उषा को नदरी/विरानी



उपस्थित अधिकारी  
रायसिंहनगर